chdkusj uxj fuxe

ekckby Vkoj@iky] ,UVhuk mifof/k;k&2010

टावर/पोल एन्टीना नगर निगम क्षेत्र में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में व्याप्त जन सुरक्षा व सुविधा, भवनों की सुरक्षा, नेटवर्क की कनेक्टीविटी, शहर का हेरिटेज स्वरूप की रक्षा, अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से बचाव के कार्य एवं बेहतर नगरीय सेवा के लिए जनहित में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 340 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर नगर निगम एतद् द्वारा निम्न उपविधि बनाती है–

1- uke o çHkko'khyrk %&

1. यह उपविधि बीकानेर नगर निगम (मोबाईल टॉवर/पोल, एन्टीना) उपविधि–2010 कहलायेगी।
2. यह उपविधि बीकानेर नगर निगम की समस्त सीमा में प्रभावशील होगी।
3. यह उपविधि तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी।

2. lsY;qyj QksUl ,oa vU; leLr çdkj ds çlkj.k ds fy, Hkouksa dh Nrksa o [kqys çlkj.k Vkoj@iksy ,fUVuk yxk;s tkus gsrq vkosnu %& (1) सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिये भूमि अथवा भवन पर प्रसारण टॉवर/पोल एन्टीना लगाने बाबत सम्बन्धित मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बीकानेर नगर निगम को आवेदन करना होगा। टॉवर/पोल एन्टीना स्थापन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को चाहे किसी आवासन मण्डल एवं नगर विकास न्यास अथवा किसी भी बोर्ड/संस्था द्वारा विकसित किया गया हो तथा बीकानेर नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं किया गया हो, तब भी बीकानेर नगर निगम में आवेदन करना होगा।

¼2½ vkosnu ds lkFk fu/kkZfjr 'kqYd l{ke vf/kdkjh }kjk tkjh किये गये व्यावसायिक लाईसेंस, भवन/प्लाट मालिक के साथ किये गये पंजीकृत एग्रीमेण्ट, स्ट्रेक्चलर सेफ्टी, सर्टिफिकेट, टॉवर/पोल एन्टीना एवं अस्थायी निर्माण से सम्बन्धित अधिकृत डिजाईन ड्राईंग इत्यादि इस उपविधि अनुसार संलग्न करना आवश्यक होगा।

(3) अनुज्ञा पत्र की अवधि – अनुज्ञा पत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए ही जारी किया जा सकेगा। बीकानेर नगर निगम को अनुज्ञा–पत्र हेतु आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(4) सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था की अनुमति – प्रस्तावित टॉवर/पोल एन्टीना के निर्माण सम्बन्धी किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था की अनुमति की आवश्यकता हो तो वह अनुज्ञाधारी अपने स्तर से प्राप्त करेगा।

(5) टॉवर/पोल एन्टीना लगाने हेतु स्ट्रक्चर – टॉवर/पोल एन्टीना से सम्बन्धित संपूर्ण स्ट्रक्चर अस्थाई होगा, लेकिन ढांचागत सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

(6) तड़ित चालन इत्यादि का प्रावधान – अनुज्ञाधारी द्वारा अग्नि व आकाश से उत्पन्न बिजली की सुरक्षा हेतु तडित चालक का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।

(7) भवन एवं नागरिकों की सुरक्षा – अनुज्ञाधारी द्वारा भवन व आम नागरिकों की जान–माल की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना होगा। जिन भवनों पर मोबाईल टॉवर लगाने हो उनकी संरचना मजबूत एवं स्टील के कालम बेस तथा तकनीकी दृष्टि में भूकम्प रोधी एवं तेज गति से आने वाले तूफानों को सहन करने की क्षमता वाले हों।

(8) संरचना एवं स्थिरता प्रमाण–पत्र – भवन जिस पर टॉवर/पोल एन्टीना लगाया जाना प्रस्तावित है, की संरचना एवं स्थिरता (Structural Design & Stability) बाबत निम्न में से किसी एक संस्था से प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

A. M.N.I.T. Jaipur/BITS Pilani/Any Government Engg. College, Rajasthan.
B. Rail India technical & Economic Service, Delhi (RITES)
C. National Council for Building Material, Faridabad.
D. Executive Engineer Concerned, public works Department, Rajasthan.
E. Government Registerd Charterd Engineers (Including those registered with ULBs)

(9) सूचीबद्ध पुरातत्व एवं हेरिटेज भवनों पर प्रतिबन्ध – सूचीबंध पुरातत्व एवं हैरिटेज से सम्बन्धित किसी भी भवन पर टॉवर/पोल एन्टीना लगाने की अनुमति अनुज्ञेय नहीं होगी।

¼10½ fcuk LohÑfr fufe:r Hkou ij Vkoj@iksy yxkuk tkuk çfrcU/k ½& स्थानीय निकाय इत्यादि से बिना स्वीकृति निर्माण किये गये भवन पर टॉवर/पोल एन्टीना लगाने की अनुमति अनुज्ञेय नहीं होगी।

¼11½ Hkou ij VSDl@Qhl fudk; dh cdk;k gksus ij vuqKk n; ugha gksxh ½& ऐसे भवन एवं प्लाट में टॉवर/पोल एन्टीना लगाने हेतु अनुज्ञा जारी नहीं की जा सकेगी जिसकी मालिकों द्वारा नगर निगम/ को देय किसी भी टैक्स/फीस इत्यादि अदा नहीं की गई हो।

¼12½ fudk; dks tkap dk vf/kdkj ½& टॉवर/एन्टीना बीकानेर नगर निगम को समय समय पर टॉवर/पोल एन्टीना की जांच करने बाबत पूर्ण अधिकार होंगें।

¼13½ Vkoj@iksy ,UVhuk yxkus gsrq lM+d dh vko';drk U;wure pkSM+kbZ ½& खुले स्थानों/भूखण्डों /भवनों पर नये टॉवर/पोल एन्टीना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल की एप्रोच सड़क 30′–0″ फीट से कम नहीं होनी चाहिए।

¼14½ Vkoj@iksy ,UVhuk yxkus gsrq U;wure Hkw[k.M dh eki vko';d ½& खुले स्थानों पर टॉवर स्थापित करने हेतु भूखण्ड का माप न्यूनतम 30′×30′ होना आवश्यक है।

¼15½ Vkoj@iksy ,UVhuk yxkus gsrq Hkw[k.M Lokeh ds lkFk fyf[kr vuqcU/k vko';d ½& टॉवर/पोल एन्टीना स्थापित किये जाने हेतु भवन अथवा भूखण्ड स्वामी एवं आवेदक के मध्य वैधिक रूप से पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित किया जाना होगा।

¼16½ Vkoj@iksy ,UVhuk lgHkkxh vk/kkj ij yxkus dh vuqefr :– एक टॉवर/पोल एन्टीना पर शेयरिंग बेंसिस पर मूल अनुज्ञाधारी की सहमति से अतिरिक्त एन्टीना लगाने हेतु स्वीकृति दी जा सकेगी यदि वह अन्य सभी दिशा–निर्देशों को पूरा करते हो।

¼17½ /ofu çnw"k.k ls eqDr Mh-th- lsV vko';d&çlkj.k Vkoj@iksy एन्टीना के संचालन के लिए ध्वनि प्रदूषण से मुक्त डी.जी. सेट लगाना नियमानुसार अनुज्ञेय होंगें। इस हेतु आवश्यकतानुसार अनुमति अलग से सम्बन्धित संस्था से प्राप्त करनी होगी।

¼18½ gfjVst ?kksf"kr fd;s tkus ij Vkoj@iksy ,UVhuk gVk;k tkuk – भवन/भूखण्ड को हेरिटेज घोषित किये जाने पर उस पर स्थापित टॉवर/पोल एन्टीना तत्काल हटाये जायेगें।

¼19½ Vkoj gr i th;u o ekfld 'kYd :– प्रत्येक आवेदक को टॉवर लगाने हेतु 50,000 (अक्षरे पचास हजार रूपये) रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क के रूप में बीकानेर नगर निगम में जमा कराने होगें।

यदि एक टॉवर को दो से अधिक सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग में लिया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा कराना होगा, लेकिन यदि उसी सेवा प्रदाता द्वारा अतिरिक्त एन्टीना उसी टॉवर पर लगाया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। यह राशि वापस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक टॉवर हेतु मासिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में 10/– रू. प्रति वर्ग फीट या 5,000/– रू. जो भी अधिक हो, भी अदा करने होगें।

¼20½ iky ,UVhuk gr i th;u ,o ekfld 'kYd %& पोल एन्टीना हेतु प्रत्येक आवेदक को पोल एन्टीना लगाने हेतु 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये) रजिस्ट्रेशन /स्वीकृति शुल्क के रूप में बीकानेर नगर निगम में जमा कराने होंगें।

यदि एक पोल एन्टीना को अन्य सेवा प्रदाता द्वारा शेयर किया जाता है तो प्रत्येक अतिरक्ति एन्टीना हेतु आवेदक द्वारा 10,000 (अक्षरे दस हजार रूपये) जमा कराने होगें, लेकिन यदि उसी सेवा प्रदाता द्वारा अतिरिक्त एन्टीना उसी टॉवर पर लगाया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। यह राशि वापस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पोल एन्टीना हेतु मासिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में 10/– रू. प्रति वर्ग फीट या 2000/– रू. जो भी अधिक हो, भी अदा करने होगें।

ukV %& पोल/एन्टीना से तात्पर्य ऐसे पोल से है, जो एक या एक से अधिक मुख्य टॉवर्स से उपभोक्ता के संपर्क सम्प्रेक्षण को अतिरिक्त प्रभावशाली बनाने हेतु स्थापित किये जाते है।

¼21½ iol e LFkkfir Vkojk dh vuKk d lEcU/k e %& वर्तमान में स्थापित टॉवरो के सम्बन्ध में पंजीकरण फीस 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) के साथ इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के अन्दर–अन्दर अनुज्ञा हेतु बीकानेर नगर निगम में आवेदन करने होगे। यह राशि वापि लौटायें जाने योग्य नहीं होगी। साथ ही इस आदेश के जारी होने की दिनांक से मासिक अनुज्ञा शुल्क 10/– रू. प्रतिवर्ग फीट या 5,000 (अक्षरे पांच हजार रूपये) जो भी अधिक हो, भी वसूलनीय होगा।

¼22½ iol e LFkkfir iky ,.Vhuk d i th;u ,o ekfld 'kYd %& वर्तमान में स्थापित पोल एण्टीनों के सम्बन्ध में पंजीकरण फीस 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) के

साथ इस आदेश के जारी होने के 30 दिवस के अन्दर–अन्दर अनुज्ञा हेतु सम्बन्धित बीकानेर नगर निगम में आवेदन करने होगें। यह राशि वापिस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। साथ ही इस आदेश के जारी होने की दिनांक से मासिक अनुज्ञा शुल्क 10/– रू. प्रतिवर्ग फीट या 2000/–(अक्षरे दो हजार रूपये) जो भी अधिक हो, भी वसूलनीय होगी।

¼23½ Ekkfld vuqKk 'kqYd tek djkus dh vof/k ½& तीन माह का मासिक अनुज्ञा शुल्क अग्रिम जमा करने होगे साथ ही मासिक अनुज्ञा शुल्क प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा कराने होगें। टॉवर/पोल एन्टीना माह के किसी भी दिन में लगाने व हटाने पर उक्त माह का संपूर्ण शुल्क जमा कराना होगा। अनुज्ञा अवधि हेतु यह राशि एक मुश्त भी जमा करायी जा सकेगी।

¼24½ ekfld 'kqYd esa NwV ½& अनुज्ञाधारी यदि मासिक शुल्क को एक साथ संपूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम जमा करवाना चाहता है तो 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। लेकिन ऐसी अग्रिम राशि माह अप्रैल की 10 तारीख तक जमा करानी होगी। वार्षिक अनुज्ञा फीस वित्तीय वर्ष के अनुसार माह अप्रैल से मार्च तक देय होगी।

¼25½ vuqKk i= uohuhdj.k Qhl ½& अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञया अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व अनुज्ञापत्र की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन मय अनुज्ञा पत्र आवेदन हेतु उक्त उपविधि के क्लॉज 19 व 20 में निर्धारित शुल्क का आधा शुल्क जमा कराना होगा।

¼26½ foyEc ls Qhl ½& विलम्ब से फीस/राशि अदा करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज बीकानेर नगर निगम द्वारा वसूल किया जायेगा तथा तीन माह तक की अनुज्ञा राशि की अदायगी नहीं होने पर जारी अनुज्ञा स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा टॉवर/पोल एन्टीना से सम्बन्धित मशीन एवं स्ट्रेक्चर को बीकानेर नगर निगम जब्त करेगी।

¼27½ ekfld vuqKk 'kqYd dk LFkkukUrj.k ½& मासिक अनुज्ञा शुल्क बीकानेर नगर निगम में जमा कराना होगा। टॉवर/पोल एन्टीना का क्षेत्र अन्य नगर निकाय को स्थानान्तरित होने पर ऐसी बीकानेर नगर निगम को मासिक शुल्क देय होगा।

¼28½ jktdh; foHkkxksa ls 'kqYd olwyuh; ugha gksxk ½& पुलिस, सुरक्षा बल एवं सरकारी विभाग द्वारा स्थापित टॉवर/पोल एन्टीना के सम्बन्ध में कोई शुल्क वसूलनीय नहीं होगा।

¼29½ Vkoj@iky ,.Vhuk dks gVkus ds vkns'k ij bUgsa gVk;k tkuk vko';d gksxk ½& बीकानेर नगर निगम/राज्य सरकार/टॉवर/पोल एन्टीना को हटाने हेतु आदेश दिये जाने पर कम्पनी को तुरन्त टॉवर/पोल एन्टीना हटाना होगा। यदि टॉवर/पोल एन्टीना नहीं हटाया जाता है तो बीकानेर नगर निगम द्वारा अपने स्तर से उक्त टॉवर/पोल एन्टीना को हटा कर जब्त कर लिया जायेगा। उक्त कार्यवाही पर होने वाले व्यय की राशि अनुज्ञाधारी/सम्बन्धित व्यक्ति से वसूलनीय होगी।

¼30½ Vkoj@iky ,.Vhuk dh tCrh ½& बिना अनुमति/अनुज्ञा के लगाये टॉवर/पोल एन्टीना को बीकानेर नगर निगम जब्त कर सकेगी एवं उसको हटाने का व्यय सम्बन्धित से वसूलनीय होगा एवं अन्य कानूनी कार्यवाही उनके विरूद्ध की जायेगी।

¼31½ Vkoj@iky ,.Vhuk ,oa Hkou bR;kfn ls uqdlku ij gtkZ ds lEcU/k esa & टॉवर/पोल एन्टीना एवं भवन इत्यादि से उत्पन्न नुकसान के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार के हर्जे, नुकसान इत्यादि के लिये स्वयं अनुज्ञाधारी/भवन मालिक जिम्मेदार होगा तथा राज्य सरकार अथवा बीकानेर नगर निगम की किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ¼32½ Vkoj@iky ,.Vhuk dk losZ{k.k ½& बीकानेर नगर निगम अपने क्षेत्र में स्थापित टॉवर/पोल एन्टीना का सर्वेक्षण इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस के अन्दर– अन्दर करना सुनिश्चित करेगें। इस हेतु बीकानेर नगर निगम द्वारा एक रिकार्ड रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

¼33½ टॉवर/पोल एण्टीना जिस भवन/भू–खण्ड में स्थापित होगा, उसकी प्रकृति (Nature) यदि आवासीय है तो आवासीय ही रहेगी। और व्यवसायिक है तो व्यवसायिक ही रहेगी।